

विषय-सूची

● बिहार सिविल जज मुख्य परीक्षा, 2000 का प्रश्न-पत्र

अनिवार्य विषय

भाग-I

सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) 1-144

भाग-II

प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान 1-72

भाग-III

सामान्य हिन्दी 1-48

ऐच्छिक विषय

भाग-IV

साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि

● भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 3-40

1. सामान्य.....	3
2. प्रारम्भिक (धारा 1 से 4).....	5
3. तथ्यों की सुसंगति के विषय में (धारा 5 से 55).....	7
4. तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है (धारा 56 से 58).....	16
5. मौखिक साक्ष्य के विषय में (धारा 59 तथा 60).....	18
6. दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में (धारा 61 से 90).....	19
7. दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में (धारा 91 से 100).....	24
8. सबूत के भार के विषय में (धारा 101 से 114).....	26
9. विबंध (धारा 115 से 117).....	31
10. साक्षियों के विषय में (धारा 118 से 134).....	33
11. साक्षियों की परीक्षा के विषय में (धारा 135 से 166).....	36
12. साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा (धारा 167).....	40

● सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 41-98

1. सामान्य.....	41
2. प्रारम्भिक (धारा 1 से 8).....	43

3. साधारणतः वादों के विषय में (धारा 9 से 35B एवं 1, 4, 5, 6, 7, 16, 16A, 20, 20A)..	45
4. निष्पादन (धारा 36 से 74 एवं आदेश 21).....	54
5. आनुषंगिक कार्यवाहियाँ (धारा 75 से 78 एवं आदेश 26).....	60
6. विशिष्ट मामलों में वाद (धारा 79 से 88 एवं नियम 27, 35).....	62
7. विशेष कार्यवाहियाँ (धारा 89, 93).....	65
8. अनुपूरक कार्यवाहियाँ (धारा 94, 95).....	66
9. अपीलें (धारा 96 से धारा 112 एवं आदेश 41, 42, 43, 45).....	67
10. निर्देश, पुनर्विलोकन व पुनरीक्षण (धारा 113 से 115 एवं नियम 46, 47).....	70
11. उपबन्ध.....	71
12. प्रकीर्ण (धारा 132 से 158).....	73
13. वाद की विरचना व मान्यता प्राप्त अभिकर्ता एवं प्लीडर (आदेश 2, 3).....	76
14. लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा (नियम 1 से 10).....	78
15. पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति का परिणाम (आदेश 9).....	80
16. परीक्षा, प्रकटीकरण, स्वीकृतियाँ व दस्तावेज विधि (आदेश 10, 11, 12, 13).....	82
17. विवाद्यकों का स्थिरीकरण व प्रथम सुनवाई में निपटारा एवं स्थगन (आदेश 14).....	83
18. वाद की सुनवाई व साक्षियों की परीक्षा एवं शपथ-पत्र (आदेश 18, 19).....	85
19. पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला (आदेश 22).....	86
20. वादों का प्रत्याहरण, न्यायालय में जमा किया जाना एवं खर्चों के लिए प्रतिभूति.....	88
21. विभिन्न वादों की प्रक्रियाएँ (आदेश 27 क से आदेश 31 तक).....	90
22. अवयस्कों व विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद (आदेश 32).....	92
23. निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद तथा अपीलें (आदेश 33, 44).....	93
24. निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी व कुर्की एवं अस्थायी व्यादेश व अन्तर्वर्ती आदेश (नियम 38, 39).....	95
25. रिसीवरों की नियुक्ति (आदेश 40).....	97
26. प्रकीर्ण (आदेश 48, 49, 50, 51).....	98
● दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973	99-160
1. सामान्य.....	99
2. धारा 1 से 25.....	101
3. धारा 26 से 60.....	105
4. धारा 61 से 90.....	109
5. धारा 91 से 124.....	113
6. धारा 125 से 128.....	117
7. धारा 129 से 148.....	119
8. धारा 149 से 176.....	122
9. धारा 177 से 199.....	125
10. धारा 200 से 210.....	129
11. धारा 211 से 224.....	131
12. धारा 225 से 265.....	133

13. धारा 266 से 299.....	138
14. धारा 300 से 327.....	141
15. धारा 328 से 352.....	144
16. धारा 353 से 371.....	147
17. धारा 372 से 405.....	150
18. धारा 406 से 435.....	153
19. धारा 436 से 459.....	156
20. धारा 460 से 484.....	159
● माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996.....	1-11
● प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887.....	12-16

भाग-V

भारत और इंग्लैण्ड की संवैधानिक विधि

● भारत की संवैधानिक विधि	2-120
1. भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व.....	2
2. उद्देशिका.....	6
3. मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य.....	10
4. राष्ट्रपति एवं राज्यपाल.....	60
5. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय.....	78
6. संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग.....	95
7. संघ तथा राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन.....	98
8. आपात-उपबंध (अनुच्छेद 352-360).....	106
9. संविधान का संशोधन (अनुच्छेद 368).....	115
● इंग्लैण्ड का संविधान	121-144
1. विशेषताएँ.....	121
2. राजतन्त्र.....	132
3. मंत्रिमण्डल.....	134
4. संसद.....	137
5. न्यायपालिका.....	142
6. राजनीतिक दल.....	144

भाग-VI

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, साम्या विधि एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम

● सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882	3-44
1. सामान्य.....	3
2. प्रारम्भिक (धारा 1 से 4).....	4
3. पक्षकारों के कार्य द्वारा सम्पत्ति अन्तरण के विषय में (धारा 5 से 53क).....	7
4. स्थावर सम्पत्ति के विक्रयों के विषय में (धारा 54 से 57 तक).....	21
5. स्थावर सम्पत्ति के बन्धकों व भारों के विषय में (धारा 58 से 104 तक).....	24
6. स्थावर सम्पत्ति के पट्टों के विषय में (धारा 105 से 117 तक).....	34

7. विनियमों के विषय में (धारा 118 से 121 तक).....	40
8. दान के विषय में (धारा 122 से 129 तक).....	41
9. अनुयोज्य दावों के अन्तरण के विषय में (धारा 130 से 137 तक).....	43
● साम्या विधि.....	45-49
● विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963.....	50-56

भाग-VII

संविदा और अपकृत्य विधि

● भारतीय संविदा अधिनियम 1872.....	3-72
1. करार, संविदा एवं प्रस्थापना.....	3
2. प्रतिग्रहण.....	6
3. प्रतिफल.....	10
4. संविदा की सक्षमता.....	15
5. सम्मति को अमान्य करने वाले कारक.....	18
6. उद्देश्य की विधिपूर्णता.....	24
7. समाश्रित संविदा.....	32
8. संविदा का पालन (उन्मोचन).....	37
9. संविदा-कल्प.....	49
10. संविदा भंग के उपचार.....	55
11. क्षतिपूर्ति व प्रत्याभूति की संविदाएं.....	66
12. उपनिधान.....	68
13. अभिकरण.....	71
● अपकृत्य विधि.....	73-183
1. अपकृत्य का स्वरूप एवं परिभाषा.....	73
2. दोष पर आधारित दायित्व एवं कठोर दायित्व.....	89
3. प्रतिनिधिक दायित्व एवं राज्य दायित्व.....	105
4. संयुक्त अपकृत्यकर्ता.....	122
5. उपेक्षा.....	129
6. मानहानि.....	146
7. षड्यन्त्र.....	161
8. उपताप.....	163
9. अप्राधिकृत बंदीकरण या मिथ्या कारावास.....	170
10. विद्वेषपूर्ण अभियोजन.....	176